उपखण्ड अधिकारी
करौली

24/2/16 श्रीमान पी.ओ. महोदय अवकाश पर होने से कार्य नहीं हो सका
कारण वाद दिनांक 24/2/16 को
... अधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 23/3/17 को
की जावेगी।

23/3/17 श्रीमान पी.ओ. महोदय अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से
कारण वाद दिनांक 23/3/17 को
... राधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 21/4/17 को
की जावेगी।

21/4/17 वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र O6 R17 CPC पेश किया गया। प्रतिवादी / वकील प्रतिवादी को दिखाई गई। प्रार्थना धारा 136 L.R. Act में संशोधन करने बाबत वकील प्रतिवादी ने जवाब स्वीकृति पेश की। अतः प्रार्थना पत्र 136 C.P.C. के स्थान पर धारा 136 L.R. Act एवं ... के स्थान पर प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित किया जावे। पत्रावली पुन: बहस वकील वादी द्वारा सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/4/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

25/4/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा दिनांक 15/9/16 को एक दावा धारा 136 R.T. Act में रेवेन्यू नक्शे में तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
करौली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	शुद्धीकरण हेतु पेश किया जिसमें वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना O6 R17 CPC के तहत दिनांक 31/5/17 को पेश कर धारा के स्थान पर प्रार्थना एवं R.T. ACT के स्थान पर L.R. ACT संशोधित करने हेतु पेश किया जिसको दिनांक 31/5/17 को श्री प्रतिवादी तहसीलदार की सहमति से प्रार्थना स्वीकार किया गया तथा धारा के स्थान पर प्रार्थना एवं R.T. ACT के स्थान पर L.R. ACT संशोधित किया गया। प्रार्थना-धारा 136 L.R. ACT का मनन किया गया एवं वकील वादी की दलीलों को पढा गया/सुना व तहसीलदार/कर्मचारी के बयान का मनन किया गया। तहसीलदार कर्मचारी ने अपने बयान में जवाब कराया है कि खसरा नं. 290/4 रकबा 5 बीघा बारानी का दिनांक 6.7.1983 को उपखण्ड अधिकारी कमेटी द्वारा अलॉट. आवंटनपत्र देकर W/o हुकम सिंह राजपूत के नाम आवंटन किया गया था जिसकी नामान्तरण नं. 262 द्वारा मौ/खातेदारी स्वीकार हुई। एवं तहसीलदार	

के स्थान पर प्रार्थना एवं R.T.ACT के स्थान
पर L.R.ACT संशोधित करने हेतु निवेदन किया
जिसको दिनांक 21/4/17 को ही प्रतिवादी
तहसीलदार की सहमति से प्रार्थना स्वीकार
किया जाकर तथा धारा के स्थान पर प्रार्थना
एवं R.T.ACT के स्थान पर L.R.ACT
संशोधित किया गया।

प्रार्थना धारा 136 L.R.ACT का मनन
किया गया एवं वकील वादी की दलीलों
को सुना गया/ध्यान से तहसीलदार कोटपुतली
के जवाब का मनन किया गया। तहसीलदार
कोटपुतली ने अपने जवाब में बताया
है कि ख.नं. 290/4 रकबा 5 बीघा बारानी
का दिनांक 6.7.1983 को उपखण्ड अधिकारी
कोटपुतली द्वारा श्री रघुनन्दन पुत्र
सिंह यादव के नाम आवंटन किया गया
था जिसकी नामान्तरकरण सं. 262 द्वारा
गैरखातेदारी स्वीकार हुई। एवं तहसीलदार
कोटपुतली के आदेश क्रमांक 3947-49 दिनांक
24.11.2015 के द्वारा खातेदारी मिली।
तत्पश्चात रघुनन्दन ला देवी ने उक्त आराजी
का इकरार रामसिंह को बेचान रजिस्ट्री करवाई
जिसका नामान्तरकरण सं. 637 द्वारा रामसिंह

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		के नाम नामान्तरकरण खोला गया। उसके में तहसीलदार कोटपुतली ने पत्र भी अवगत करवाया कि पूर्व में की गई तरमीम एवं पार्टी के मौके पर कब्जा उसमें फर्क है। हल्का पटवारी सांगली की रिपोर्ट दिनांक 26/7/16 द्वारा भी तरमीम एवं मौके पर कब्जा दोनों में अन्तर होना बतलाया है।	
		उभय पक्षों का मनन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का जो कब्जा है तथा पूर्व में जो तरमीम हुई है दोनों में अन्तर है। अतः तहसीलदार कोटपुतली को आदेशित किये जाते हैं कि मुताबिक वादी के कब्जानुसार ख.नं. 290/4 रकबा 5 बीघा को ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का सांगली तहसील कोटपुतली की तरमीम करें। रेवन्यू रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन करें। साथ ही रिकार्ड नक्शा में तरमीम स्वीकृत एवं नक्शा तरमीम करने का विस्तृत नोट अंकित करें। पटवारी, गिरदावर का नाम, हस्ताक्षर एवं दिनांक भी अंकित करें। इसी अनुसार तहसीलदार कोटपुतली को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली नियमानुसार [illegible] हो। दाखिल दफ्तर हो।	417 27.4.17